

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6579)सूप्रौ/संस्था/15/04285/2020/

जयपुर, दिनांक : 22.09.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	3495	गरिमा भाटी, सूचना सहायक	कृषि आयुक्तालय, जयपुर।	1. NIC द्वारा आयोजित Scientist-B/ Technical Assistant-A
2	New IA Batch 2018	धर्म राज मीना, सूचना सहायक	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर, जयपुर।	1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2020
3	New IA Batch 2018	गोरधन राम चौधरी, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति, जैतारण, पाली।	1. RPSC द्वारा आयोजित ACF & Forest Ranger Officer Grade-I
4	New IA Batch 2018	गरिमा पाराशर, सूचना सहायक	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।	1. IBPS PO/MT CRP X Recruitment 2020 एवं CRP-RRB-IX

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी राज सेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

SD/-

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. संबधित निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

9/10/2020/90

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)